

न्यायालय सिविल जज (अ०ख०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर

वाद सं०- 283/2012

जसवीर सिंह

बनाम

राजू शिक्षा संस्थान

दिनांक-15.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व की तिथि में वादी को वाद में बल देने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था परंतु आज वादी उपस्थित नहीं है। अतः पुनः वादी को बल देने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली लंच उपरांत पेश हो।

(आंचल चन्देल)

सिविल जज (अ०ख०), खुर्जा

बुलन्दशहर

JO CODE: UP3471

लंच उपरांत-

दिनांक-15.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी की तरफ से कोई मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही वादी की ओर से कोई उपस्थित है। पूर्व में भी वादी को बल देने हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद चलाने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः प्रस्तुत वाद आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद अंतर्गत आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आंचल चन्देल)

सिविल जज (अ०ख०), खुर्जा

बुलन्दशहर

JO CODE: UP3471